राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....362/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स कृष्णकृपा सेल्स प्रा0 लिमिटेड, गोमती कुंज, सरस्वती मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ, वृत–'जी', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/03/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या एस–232/AA-I/G/14-15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.02.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ, वृत–जी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 10.12.2014 से सृजित मांग राशि रूपये 18,60,614/– में से रूपये 16,45,026/– की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 7,74,000/– की वसूली को स्थगित करते हुए, अवशेष राशि को वसूलनीय माना है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरण में कुल वसूली योग्य अवशेष राशि **रूपये 8,71,026/–** की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 के बिक्री विवरण प्रपत्र को 'शून्य' पण्यावर्त के प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.02.2014 को 'शून्य' मांग का पारित कर दिया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्र दिनांक 28.03.2014 को प्रस्तुत करते हुए कुल पण्यावर्त रूपये 39,91,025/– दर्शाया गया एवं देय कर दिनांक 31.03.2014 को राजकोष में जमा करवाया गया तथा आई.टी.सी. क्लेम किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के उक्त कृत्य को करापवंचन की मंशा से किया जाना तथा बिक्री को छुपाया जाना मानते हुए कर रूपये 5,58,743/–, ब्याज रूपये 1,84,385/– एवं धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 11,17,486/– कुल रूपये 18,60,614/– का आरोपण	

लगातार.....2

उनवान : मैसर्स कृष्णकृपा सेल्स प्रा0 लिमिटेड, गोमती कुंज, सरस्वती मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ, वृत–'जी', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/2015	आदेश दिनांक 10.12.2014 से किया गया। साथ ही चाहे गये आई.टी.सी. को भी अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए, प्रकरण में वसूली योग्य मांग राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.02.2015 से स्थगन प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पंकज घीया तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा Suo Motu आलौच्य अवधि के संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में तथा आई.टी.सी. अस्वीकृत किये जाने में विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी आंशिक राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने में त्रुटि की गयी है। अतः गुणावगुण पर सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए, प्रकरण में वसूली योग्य अवशेष मांग राशि रूपये 8,71,026/– की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त प्रकरण में सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में शेष वसूली योग्य मांग राशि **रूपये 8,71,026/–** की वसूली पर **लगातार.....3**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....362/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स कृष्णकृपा सेल्स प्रा0 लिमिटेड, गोमती कुंज, सरस्वती मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ, वृत–'जी', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/2015	इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित अपील का निस्तारण तीन माह की अवधि में करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 27.03.15 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 27.3.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	